

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :- 792 / 2023-24

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

सुनीता कुमारी नाग.....आवेदक / विक्रेता

ज्योतिमनी लुगुन.....क्रेता

बनाम्

राज्य सरकार.....द्वितीय पक्ष

} प्रथम पक्ष

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित										
08.04.2024	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>आवेदिका सुनीता कुमारी नाग पति दिनेश कच्छप ग्राम-कुरकुटिया, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी के द्वारा निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु (online) आवेदन किया गया है:-</p> <p style="text-align: center;">भूमि का विवरण</p> <table border="1"><thead><tr><th>ग्राम</th><th>थाना नं०</th><th>खाता नं०</th><th>खेसरा सं०</th><th>रकबा(एकड़ में)</th></tr></thead><tbody><tr><td>एरेण्डा</td><td>240</td><td>30</td><td>115</td><td>0.03</td></tr></tbody></table> <p>आवेदिका के द्वारा समर्पित किये गये आवेदन पत्र के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि आवेदक सुनीता कुमारी नाग पति दिनेश कच्छप ग्राम-कुरकुटिया, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी को मकान बनाने वास्ते राशि की आवश्यकता है जिस कारण उनके द्वारा प्रश्नगत भूमि को क्रेता ज्योतिमनी लुगुन पिता स्व० सबन लुगुन ग्राम-पिड़ीडीह, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी को बिक्री करना चाहते हैं।</p> <p>आवेदिका अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना खूँटी के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदिका अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे में है, को मकान बनाने वास्ते बिक्री करना चाहते हैं। साक्ष्य के रूप में उनके द्वारा आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं खतियान की छाया प्रति तथा लगान की रसीद सं० 0656054153 की छाया प्रति प्रस्तुत की गई।</p> <p>उपरोक्त अनुमति वाद के आलोक में आम नोटिस निर्गत किया गया। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। उक्त भूमि की बिक्री में किसी के द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गयी है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 346 दिनांक 05.04.2024 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, खूँटी के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रश्नगत भूमि आवेदक की खरीदगी भूमि है। आवेदक पंजी II रैयत स्वयं है। प्रश्नगत भूमि की ऑनलाईन पंजी II के भाग</p>	ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा(एकड़ में)	एरेण्डा	240	30	115	0.03	
ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा(एकड़ में)								
एरेण्डा	240	30	115	0.03								

सं0 6 के पृष्ठ सं0 84 पर जमाबंदी दर्ज है।

अंचल अधिकारी, खूँटी के जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जनजाति के सदस्य है एवं एक ही थाना के निवासी है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों की ओर से एक थाना के निवासी होने एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने के प्रमाण में शपथ पत्र संख्या 984 दिनांक 21.02.2024 के साथ अंचल अधिकारी, खूँटी के द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र सं0- JHCST/2021/295008 दिनांक 13.11.2021 वो आवासीय प्रमाण पत्र सं0- JHRC/2021/431490 दिनांक 05.11.2021 एवं आधार कार्ड की छायाप्रति दाखिल किया गया है, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। उपरोक्त प्रमाण पत्रों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जनजाति के सदस्य है तथा एक ही थाना के निवासी है। अंचल अधिकारी, खूँटी ने आवेदित भूमि की बिक्री हेतु अनुशंसा किया है।

अतः अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 346 दिनांक 05.04.2024 के माध्यम से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन तथा अनुशंसा एवं अभिलेख के साथ संलग्न कागजातों के आधार पर आवेदिका सुनीता कुमारी नाग पति दिनेश कच्छप ग्राम-कुरकुटिया, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी को क्रेता ज्योतिमनी लुगुन पिता स्व0 सबन लुगुन ग्राम-पिड़ीडिह, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी के साथ ग्राम एरेण्डा के खाता सं0 30, खेसरा संख्या 115, कुल रकबा 0.03 एकड़ भूमि को बाजार दर या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा। अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
खूँटी।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
खूँटी।